राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3/119, सुदर्शना नगर, बीकानेर (राजस्थान)।
दूरभाष – 0151–2226614

क्रमांक – अ.अ.(यां.व छि.)/बीका/भंडार/नीलामी/2022–23/ 890 दिनांक : 24. 11.2022

अनुपयोगी सामग्री की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक एवं छिद्रण), बीकानेर के अनुपयोगी घोषित सामग्री की नीलामी निम्न विवरणानुसार रखी हुई है, जो भी बोलीदाता बोली लगाने के इच्छुक हो वे निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है ।

क्रं. सं.	कार्यालय का नाम	आईटम का नाम	कुल कीमत रूपये	धरोहर राशि रूपये	नीलामी दिनांक एवं समय	नीलामी का स्थान जहां सामान रखा गया है
1	अधी.अभि.(यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर ।	अनुपयोगी ट्राली माउन्टेड कोर ड्रिलिंग मशीन (without mud pump), केसिंग पाईप, ड्रिल रॉड, पाईप रिंच, बेट्री,कोर बिट्स एवं रिमींग सेल इत्यादि ।	13,80,751/– रू0	28,000/– रू0	20.12.2022 उपरान्ह 02.00 बजे	केम्प सम, पुलिस थाने के सामने, सम जिला जैसलमेर ।

बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि रूपये 28000/– नकद/बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक एवं छिद्रण), बीकानेर के नाम देय संलग्न करना होगा तथा उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई उसी समय जमा करवानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी । यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांक को नीलामी नहीं हो पाती है, अथवा नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसके कार्य दिवस पर नीलामी कार्यवाही जारी रहेगी । नीलामी हेतु शर्ते एवं सामान को किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है । सभी शर्ते बोलीदाताओं को मान्य होगी । किसी भी बोली को बिना कोई कारण बतायें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा । यह निविदा वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध होगी ।

24.11.22

(पी.डी.सोनी)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3/119, सुदर्शना नगर, बीकानेर (राजस्थान)।

नीलामी दिनांक 20.12.2022 उपरान्ह 02.00 बजे

–:: नीलामी की शर्ते ::–

1. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा नीलामी विज्ञप्ति के अनुसार नकद/बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने पर ही बोली में सम्मिलित किया जावेगा, बिना धरोहर राशि के बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी, सफल बोलीदाता यदि एक चौथाई राशि उसी समय जमा करवा देता है तो सभी बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी समापन पर लौटाई जा सकेगी अन्यथा सफल बोलीदाता एवं उच्च बोलीदाताओं को नीलामी समापन पर राशि नहीं लौटाई जावेगी ।
2. सफल बोलीदाता को नीलामी समापन तिथि से पाँच दिन की अवधि में शेष तीन चौथाई (3/4) राशि एवं बोली पर देय GST कर जमा कराने के बाद ही नीलामी की सामग्री की सुपुर्दगी की जावेगी ।
3. GST/बिक्रीकर व अन्य कर विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अलग से जमा करवाना होगा ।
4. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा एवं उसका निर्णय मान्य होगा ।
5. सभी सामान जैसा है, जहां है, हालत में नीलाम किये जायेगे ।
6. नीलामी के समय किसी भी प्रकार की अशान्ति पैदा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
7. नीलामी सामग्री का लोट बनाने, उसमें परिवर्तन करने में नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा ।
8. न्यूनतम बोली को कम/ज्यादा करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा ।
9. उचित बोली/दर प्राप्त होने पर ही नीलामी छोड़ी जायेगा । उचित/अन्तिम दर संबंधी अन्तिम निर्णय समिति का मान्य होगा ।
10. यदि उक्त तिथियों को अपरिहार्य कारणों से नीलामी नहीं हो पाती है तो उसके अगले कार्यदिवस पर नीलामी की जावेगी ।
11. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र बीकानेर होगा ।

24/11/22

(पी.डी.सोनी)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर ।